# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

**MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI VISHWAVIDYALAYA**

ज्ञान शांति मैत्री

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

*(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)*

**प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल**
**PROF. H. P. SHUKLA**
प्रतिकुलपति
PRO VICE CHANCELLOR

**दूरभाष:** (का.) 07152-251134
**मोबाइल:** + 91-9403783977
**ई-मेल:** pvc.mgahv1@gmail.com
shuklahp7@gmail.com


**क्रमांक:** 009/PVC-HPS/2020/ 062

**दिनांक:** 05.05.2020

## परिपत्र

**कोविद-19** के प्रभाव से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा दिनांकः 29 अप्रैल, 2020 को जारी दिशा-निर्देश क्रमांक-12 के अनुसार एम.फिल. एवं पी-एच.डी. की मौखिकी परीक्षा (Viva-voce) वीडियो कांफ्रेंसिंग (Google, Skype, Microsoft Technologies आदि) के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा भी वीडियो कांफ्रेंसिंग (Google Hangout Meet) के माध्यम से एम.फिल. एवं पी-एच.डी. की मौखिकी परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुमति प्रदान करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है-

1. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग/केंद्र द्वारा करायी जाने वाली एम.फिल./पीएच.डी. की मौखिकी परीक्षा Google Hangout Meet के माध्यम से करायी जाएगी।
2. वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा आयोजित होने वाली मौखिकी परीक्षा ऑनलाइन खुली परीक्षा होगी, जिसमें विभागाध्यक्ष, बाह्य-परीक्षक एवं संबंधित शोधार्थी के अलावा विभाग के समस्त शिक्षक, शोधार्थी एवं अन्य अभिरुचिशील शिक्षक एवं शोधार्थी सम्मिलित हो सकेंगे। इसकी सार्वजनिक सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर संबंधित विभागाध्यक्ष की ओर से जारी की जाएगी। संबंधित विभाग द्वारा कार्यालयीन ई-मेल सार्वजनिक किया जाएगा, जिस पर आयोजित मौखिकी में सम्मिलित होने के इच्छुक शिक्षक/शोधार्थी, मौखिकी में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण लिंक भेजे जाने हेतु ई-मेल कर सकें। ऑनलाइन खुली मौखिकी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण लिंक ई-मेल से ऐसी रुचि प्रकट करने वाले शिक्षकों/शोधार्थियों को यथासमय प्रेषित जाएगा।
3. मौखिकी के आयोजन का लिंक अनिवार्यत: कुलपति कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मौखिकी के आयोजन की सूचना संबंधित संकायाध्यक्ष को भी यथासमय प्रेषित करेंगे। वेबसाइट पर मौखिकी आयोजन समय से कम-से-कम 48 घंटे पूर्व यह सूचना जारी होनी आवश्यक होगी।
5. अधिसूचना विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत होगी। प्रभारी द्वारा निर्गत सूचना विधिमान्य नहीं होगी।
6. संबंधित विभाग/विश्वविद्यालय वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित ऑनलाइन मौखिकी परीक्षा का विधिवत् रिकॉर्ड रखेगा।
7. ऑनलाइन मौखिकी परीक्षा संपन्न होने संबंधी प्रतिवेदन संबंधित बाह्य परीक्षक एवं शोध-निर्देशक द्वारा हस्ताक्षरित एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होंगे। इसके लिए मौखिकी संपन्न होने के बाद विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे बाह्य परीक्षक को प्रतिवेदन तैयार कर ई-मेल से प्रेषित करें और उस पर उनकी सहमति/टिप्पणी प्राप्त करें। तत्पश्चात् प्रतिवेदन प्रतिहस्ताक्षरित कर पत्रावली में यथास्थान संलग्न करें।
8. विभागाध्यक्ष मौखिकी परीक्षा मंडल (Viva voce Board) की संस्तुति के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया कर पत्रावली अगली कार्यवाही हेतु परीक्षा विभाग को प्रेषित करें।

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।

(हनुमानप्रसाद शुक्ल)

**प्रति:**

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी
2. समस्त संकायाध्यक्ष

**प्रतिलिपि:**

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. प्रभारी, लीला (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)